



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



18 वैशाख, 1946 (श०)

संख्या - 254 राँची, बुधवार,

8 मई, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

20 फरवरी, 2024

संख्या-5/आरोप-1-56/2020-21138 (HRMS)--श्री राजेश कुमार सिन्हा, झा०प्र०से० (चतुर्थ 'सीमित' बैच), तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, चतरा नगर परिषद्, चतरा के विरूद्ध नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-44, दिनांक 05.01.2021 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया। आरोप पत्र में इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

आरोप सं०-1- चतरा नगर परिषद् में डस्टबीन के क्रय हेतु आमंत्रित निविदा में अनियमितता बरती गयी है।

(i) चतरा नगर परिषद् में डस्टबीन के क्रय हेतु/दर निर्धारण हेतु साधारण निविदा, निविदा संख्या-02/2019-20 आमंत्रित किया गया था। उक्त निविदा में मौर्या मोटर्स प्र०लि०, प्लॉट नं०-C-1, इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना-800013, बिहार का दर 64,500/- प्रति इकाई, सबसे कम होने के कारण L-1 के रूप में चयनित हुआ था। तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा उक्त चयनित निविदादाता को 64,500/- रुपये प्रति डस्टबीन की दर से 36 डस्टबीन की आपूर्ति करने हेतु

कार्यादेश (पत्रांक-777, दिनांक 01.10.2019) दिया गया था, जिसका कुल मूल्य $64,500 \times 36 = 23,22,000/-$ रुपये होता है।

(ii) नगर विकास एवं आवास विभाग का संकल्प संख्या-3873, दिनांक 20.08.2014 के कंडिका-7.1.3 में दस लाख से अधिक लागत की योजनाओं का कार्यान्वयन ई-टेंडर के माध्यम से किये जाने का प्रावधान किया गया है, जबकि क्रय प्रक्रिया योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) द्वारा निर्धारित की जाती है। इस क्रम में वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2504/वि0, दिनांक 24.07.2017 के कंडिका-2(ii) में अंकित है कि “50,000/- ₹0 से 30,00,000/- ₹0 तक के क्रय GeM पर उपलब्ध न्यूनतम मूल्य वाले विक्रेता से किये जा सकेंगे, जिससे कम से कम तीन अलग-अलग उत्पादनकर्ता के उत्पाद शामिल होंगे, जो आवश्यक गुणवत्ता विशिष्टता एवं आपूर्ति अवधि को पूर्ण करते हों। सक्षम प्राधिकारी के आदेश से आवश्यकतानुसार GeM पर उपलब्ध Online bidding और Online reverse auction का उपयोग किया जा सकेगा।” पुनः कंडिका-3 में अंकित है कि “सभी सरकारी विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालय के लिए झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-235(क) के अनुसार GeM Portal पर उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति बाध्यकारी होगी।” इस्टबीन के क्रय में उक्त प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया जाना नियम संगत नहीं है।

(iii) समर्पित कारण पृच्छा के जवाब में यह कहा गया है कि कार्यादेश निर्गत करते समय उन्हें एक इस्टबीन का दर मालूम नहीं था और इसलिए कार्यादेश में दिये गये कुल 36 इस्टबीन का कुल मूल्य उन्हें मालूम नहीं था। उनका यह तर्क स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि दर निविदा संख्या-02/2019-20 का निस्तारण उन्हें के द्वारा किया गया था, जिसमें मौर्या मोटर्स का दर 64,500/- रुपये प्रति इस्टबीन L-1 के रूप में चयनित हुआ था। इसके बाद उनके द्वारा निर्गत कार्यादेश में स्पष्ट रूप से $36 \times 64,500/-$ रुपये की दर से आपूर्ति का कार्यादेश निर्गत किया गया है। अतः उनका जवाब असंतोषजनक है।

आरोप सं0-2

सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1)(i) (ii) एवं (iii) के प्रावधानानुसार सरकारी सेवक से पूरी शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा की अपेक्षा की जाती है, परन्तु श्री राजेश कुमार सिन्हा द्वारा इसका पालन नहीं किया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-375, दिनांक 19.01.2021 द्वारा श्री सिन्हा स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में श्री सिन्हा के पत्र, दिनांक 11.02.2021 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री सिन्हा के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-1900, दिनांक 24.03.2021 द्वारा नगर विकास विभाग से मंतव्य की माँग की गयी। नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1985, दिनांक 16.07.2021 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

श्री सिन्हा के विरुद्ध गठित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-6811(HRMS), दिनांक 29.06.2022 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी है। विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-287, दिनांक 12.12.2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें इनके विरुद्ध प्रतिवेदित दोनों आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित है।

विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत जाँच पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री सिन्हा के विरुद्ध सेवा सम्पुष्टि की तिथि से असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपण के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक-1593, दिनांक 17.03.2023 द्वारा श्री सिन्हा से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी है। श्री सिन्हा पत्र, दिनांक 13.04.2023 द्वारा जवाब समर्पित किया गया ।

श्री सिन्हा से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत श्री सिन्हा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए विभागीय संकल्प सं०-21903(HRMS), दिनांक 28.06.2023 द्वारा इनके विरुद्ध सेवा सम्पुष्टि की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक दण्ड अधिरोपित किया गया है ।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री सिन्हा का अपील अभ्यावेदन राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड के पत्रांक-3488, दिनांक 06.11.2023 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया है। अपील अभ्यावेदन में समर्पित तथ्य निम्नवत् है-

आरोप सं०-1-

संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि “नगर विकास विभाग के संकल्प सं०-3873, दिनांक 20.08.2014 की कंडिका 7.1.3 के द्वारा साधारण निविदा से दस लाख रुपये की सीमा तक की क्रय/आपूर्ति करने का कार्यादेश निर्गत किया जा सकता है”। जबकि नगर विकास विभाग के उक्त संकल्प के कंडिका 7.1.3 में यह उल्लेखित है कि “दस लाख से अधिक लागत की योजनाओं का कार्यान्वय ई-टेंडर के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है।” स्पष्ट है कि उक्त प्रावधान योजनाओं के कार्यान्वयन से है न कि वस्तुओं के क्रय से, जिस पर संचालन पदाधिकारी द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है। अतः इस्टीमेट क्रय की प्रक्रिया में नगर विकास एवं आवास विभाग के उक्त संकल्प का उल्लंघन इनके द्वारा नहीं किया गया है ।

आरोप सं०-1(iii)-

1. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में यह उल्लेखित है कि “कार्यादेश निर्गत करते समय उन्हें एक इस्टीमेट का दर मालूम नहीं था और इसलिए कार्यादेश में दिये गये कुल 36 इस्टीमेट का कुल मूल्य उन्हें मालूम नहीं था। श्री सिन्हा द्वारा दिया गया यह तर्क स्वीकार्य नहीं है।”

उनके द्वारा दिये गये बचाव बयान में कई बार साक्ष्य के साथ समर्पित किया गया कि उपरोक्त तर्क उनके द्वारा नहीं दिया गया है। प्रभारी पदाधिकारी विकास शाखा, चतरा के पत्रांक-06, दिनांक 11.01.2020 के माध्यम से किये गए कारण पृच्छा के जवाब में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कसमार के पत्रांक-71, दिनांक 22.01.2020 के कंडिका-4 में उनके द्वारा निम्नलिखित कथन प्रस्तुत किया गया था- “निविदा खुलने एवं फाइनल होने के पहले यह जानना मुश्किल था एक इस्टीमेट का दर क्या होता? अतः 36 इस्टीमेट का क्रय मूल्य 1000000/- (दस लाख) रुपये से अधिक होता है, क्रय

समिति द्वारा निविदा फाइनल होने के पहले मालूम नहीं हो सकता था।” उनके द्वारा कभी भी लिखित रूप से यह नहीं कहा गया है कि “कार्यादेश निर्गत करते समय उन्हें एक डस्टबीन का दर मालूम नहीं था और इसलिए कार्यादेश में दिए गए कुल 36 डस्टबीन का कुल मूल्य उन्हें मालूम नहीं था।” परन्तु संचालन पदाधिकारी ने इस तथ्य को भी नजरअंदाज कर दिया। जिन तथ्यों का उल्लेख कर संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में उनके विरुद्ध आरोप प्रमाणित किया गया है, वह बिल्कुल ही निराधार है। संचालन पदाधिकारी ने उनके द्वारा समर्पित लिखित बचाव बयान के तथ्यों पर ध्यान ही नहीं दिया गया है।

2. उनके द्वारा समर्पित लिखित बचाव बयान में यह स्पष्ट किया गया है कि नगर परिषद, चतरा के कार्यालय में GeM पोर्टल क्रियाशील नहीं था और किसी भी प्रकार का क्रय पूर्व से GeM पोर्टल से नहीं किया जा रहा था। GeM पोर्टल को कार्यशील बनाने के लिए NIC से बात भी किया गया था, परन्तु तकनीकी कारणों से GeM पोर्टल को क्रियाशील किया जाना ससमय संभव नहीं हो पा रहा था। दुर्गा पूजा एवं अन्य त्योहारों में साफ-सफाई की अनिवार्यता को देखते हुए उपायुक्त, चतरा द्वारा दिये गये मौखिक निदेश के आलोक में पूर्व की भांति डस्टबीन क्रय हेतु जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, चतरा के माध्यम से दिनांक 11.09.2019 को मुहरबंद निविदा के माध्यम से दर (सभी कर सहित) निविदा आमंत्रित कर एक डस्टबीन का दर प्राप्त किया गया। तत्पश्चात् आवश्यकतानुसार 36 डस्टबीन की आपूर्ति करने हेतु कार्यादेश निर्गत किया गया। परिस्थितिजन्य बाध्य होकर ही उपरोक्त प्रक्रिया का अनुपालन पारदर्शी तरीके से किया गया। इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं किया गया। निविदा के माध्यम से डस्टबीन क्रय करने तथा निविदा प्रक्रिया के संबंध में उपायुक्त, चतरा द्वारा किसी भी प्रकार का न तो कारण पृच्छा किया गया और न ही इस संबंध में नगर विकास विभाग को कोई प्रतिवेदन भेजा गया। इस तथ्य पर भी संचालन पदाधिकारी द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है।

3. GeM पोर्टल से क्रय की गयी सामग्री के संबंध में चतरा नगर परिषद से सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी मांगा गया, जिसके आलोक में कार्यालय नगर परिषद् चतरा से आंशिक सूचना प्राप्त हुआ कि “वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में GeM Portal से क्रय की गयी सामग्री शून्य है”। स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बाद अर्थात् वित्तीय वर्ष 2020-21 से ही नगर परिषद् चतरा के कार्यालय में सामग्रियों का क्रय GeM Portal से किया गया है। इस तथ्य को दिनांक 14.10.2022 को लिखित बचाव बयान के माध्यम से संचालन पदाधिकारी को अवगत कराया गया था, परन्तु इस तथ्य को भी संचालन पदाधिकारी द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया।

4. डस्टबीन क्रय की प्रक्रिया में दर निविदा प्राप्त होने के उपरांत L-1 के रूप में चयनित एजेंसी को 36 डस्टबीन आपूर्ति करने हेतु उनके द्वारा दिनांक 01.10.2019 को कार्यादेश निर्गत किया गया और उनके द्वारा प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् चतरा का प्रभार सौंपने की तिथि

अर्थात दिनांक 17.10.2019 के पूर्व तक संबंधित एजेंसी द्वारा मात्र 12 इस्टबीन ही आपूर्ति किया गया था, जिसके लिए उनके द्वारा संबंधित एजेंसी को किसी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं किया गया। शेष 24 इस्टबीन की आपूर्ति प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी श्री विपिन कुमार दूबे की कार्यकाल में किया गया। यदि इस्टबीन क्रय हेतु अपनाई गई प्रक्रिया में श्री दूबे को किसी प्रकार की त्रुटि या नियमों का उल्लंघन या गलत मंशा परिलक्षित हुआ था, तो उन्हें उपायुक्त चतरा से निदेश प्राप्त करते हुए आपूर्ति आदेश को रद्द कर देना चाहिए था अथवा उनके कार्यकाल में आपूर्ति किये गये मात्र 12 इस्टबीन का ही भुगतान करना चाहिए था, परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

यह पूरा मामला इस्टबीन आपूर्तिकर्ता के भुगतान से संबंधित था, इसलिए उनके प्रतिस्थानी प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, चतरा श्री विपिन कुमार दुबे द्वारा जानबूझकर क्रय और गलत मंशा से पूरे मामले को उलझाया गया तथा उनके द्वारा दिये गये कारण पृच्छा के जवाब को गलत तरीके और गलत मंशा से प्रेरित होकर उपायुक्त, चतरा के माध्यम से कार्यालय नगर परिषद्, चतरा के पत्रांक-99/न0पं0, दिनांक 31.01.2020 के द्वारा प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को पत्र लिखकर भुगतान हेतु मार्गदर्शन मांगा गया और विभाग को भी दिगभ्रमित किया गया।

5. विभागीय कार्यवाही के दौरान विभागीय मंतव्य निम्नरूपेण दिया गया है- “संलग्न आरोपों की प्रति के अनुसार आरोपी पदाधिकारी से संदर्भित कृत्य निर्दिष्ट प्रक्रिया उल्लंघन है। संलग्न अभिलेखों के आलोक में निर्णय लिया जा सकता है।” इससे भी स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि उनके द्वारा किसी प्रकार का न तो अनियमितता किया गया और न ही किसी भी प्रकार की राशि का भुगतान किया गया। नगर विकास विभाग के संकल्प सं0-3873, दिनांक 20.08.2014 की कंडिका 7.1.3 का भी उल्लंघन नहीं किया गया।

उपरोक्त सभी तथ्यों को उनके द्वारा लिखित बचाव बयान के रूप में संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखा गया, परन्तु उनके इन तथ्यों पर संचालन पदाधिकारी ने कोई ध्यान नहीं दिया और उनके विरुद्ध आरोप प्रमाणित कर दिये।

आरोप सं0-2- कार्यपालक दण्डाधिकारी, चतरा, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कसमार तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दुमका के रूप में उनके द्वारा किये गये निष्ठापूर्वक कार्यों से संचालन पदाधिकारी को लिखित बचाव बयान के माध्यम से अवगत कराया गया, परन्तु इस पर भी उनके द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया।

श्री सिन्हा द्वारा समर्पित अपील आवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि उनके द्वारा अपील आवेदन में कोई नया तथ्य/साक्ष्य समर्पित नहीं किया गया है, बल्कि दितीय कारण पृच्छा में समर्पित तथ्यों को ही उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जिस पर पूर्व में ही दण्ड अधिरोपण के क्रम में विचार किया जा चुका है। पुनः उक्त तथ्यों पर दूबारा समीक्षा/विचार करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। जहाँ तक संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित लिखित बचाव बयान के तथ्यों पर ध्यान ही नहीं दिये जाने का प्रश्न है, उन सभी तथ्यों पर सम्यक् विचारोपरांत ही दण्ड अधिरोपित की गई है।

उपरोक्त के अतिरिक्त आरोपी पदाधिकारी द्वारा अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य या साक्ष्य आरोपों को अप्रमाणित करने हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः श्री राजेश कुमार सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, चतरा नगर परिषद्, चतरा द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-21903(HRMS), दिनांक 28.06.2023 द्वारा सेवा सम्पुष्टि की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक के अधिरोपित दण्ड को यथावत् रखा जाता है।
आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री राजेश कुमार सिन्हा, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	RAJESH KUMAR SINHA JHK/JAS/322	श्री राजेश कुमार सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, चतरा नगर परिषद्, चतरा द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-21903(HRMS), दिनांक 28.06.2023 द्वारा सेवा सम्पुष्टि की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक के अधिरोपित दण्ड को यथावत् रखा जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:20060400057
